बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि ९ अगस्त १९७८ ई०

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नो के लिखित उत्तर :—विहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ (ii) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा-मेज पर रखा जाना ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—५४, ५५, ५७ एवं ५९ ... २—१६

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—२८०५, ३४१८, ३४१९, ३४२० ... १६—२६
३४२१, एवं ३४२२ ।

परिशिष्ट—१ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) ... २७—४६

परिशिष्ट—२ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) ... ४७—३९५

दैनिक निबंध ... ... —३९७

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपने भाषण संशोधित नहीं किये हैं ।

श्री लाल को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, आरा में कार्य करने का आदेश।

झ-८७. श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि निदेशक (विद्यालीय शिक्षा), बिहार, पटना के द्वारा श्री कृष्ण बिहारी लाल, प्रवर लोटि लिपिक, क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना की बदली जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, भोजपुर में की गयी है,

(२) क्या यह बात सही है कि क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक १३८, दिनांक १२ जनवरी १९७८ द्वारा कार्य विरमित किये गये तथा पुनः उसी दिन पत्रांक १३९, दिनांक १२ जनवरी १९७८ द्वारा उक्त लिपिक को प्रतिनियोजन क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के कार्यालय में किया गया है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्री कृष्ण बिहारी लाल को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, आरा में कार्य करने का आदेश देने का विचार रखती है?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) श्री कृष्ण बिहारी लाल, प्रवर कोटि लिपिक को विरमित कर दिया गया है।

— —

सरकारी गल्ले के दूकनदार तथा मुखिया पर कार्रवाई।

ख-१०. श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, आपूर्ति विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गया जिला; खिजरसराय के अन्तर्गत राम केवडी गिहाटोला सुन्दरपुर के हरिजन लोगों को अभीतक एक छटाक चीनी नहीं मिली है;

(२) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त हरिजनों का राशनकार्ड ग्राम पंचायत के मुखिया श्री रामविलास शर्मा ने ले लिया है तथा सरकारी गल्ले के दूकानदार दोनों मिलकर चीनी काट लेते हैं तथा इनलोगों के नाम से जाली टीप निशान वितरण रजिस्टर पर बनाकर ठीक कर लेते हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि इस सम्बन्ध में सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गया से जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन से पता चलता है कि ग्राम केवटी बिगहा, टोला सुन्दरपुर में २४ हरिजन परिवार हैं। इन सभी हरिजनों को गत अकाल के समय राशन कार्ड की आपूर्ति की गयी थी। माह फरवरी, १९७८ तथा उसके पूर्व भी इनलोगों द्वारा चीनी उठायी गयी है, जिसकी विवरणी संलग्न है।

(२) उत्तर अस्वीकारात्मक है। सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से पता चलता है कि इन हरिजन परिवारों को जो राशन कार्ड गत अकाल के समय उन्हें दिये गये थे, उसमें तीन परिवारों को छोड़ कर सभी के राशन कार्ड खो गये हैं।

अतः श्री राम विलास शर्मा, मुखिया, केवडी ग्राम पंचायत द्वारा हरिजनों का राशन कार्ड नहीं लिया गया है। जांच प्रतिवेदन से यह भी पता चलता है कि चीनी का वितरण निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष किया जाता है तथा प्रत्येक माह में निगरानी समिति के सदस्यों के द्वारा बिक्री की सत्यता का प्रमाण-पत्र भंडार पंजी पर अंकित किये जाते हैं। अतः दूकनदार के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री चन्देश्वरी सिंह पर कार्रवाई।

सह-२८. श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद सिंह— क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बातें सही है कि गया जिला के खिजरसराय अंचल के अन्तर्गत बहुधंधी सहयोग समिति खुशहालपुर, सिमसैका के तत्कालीन मंत्री, श्री चन्देश्वरी